...लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

...राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 26/2020

दायर दिनांक – 12.10.2020

निर्णय दिनांक – 10.01.2022

जीसीएमएस नं0 –2020/00058

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी गण
1. श्रीमती शालिनी देवी पत्नी श्री रमेश नाथ जाति नाथ निवासी गनाहेड़ा तहसील पुष्कर अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर। 2. प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री अर्जुन सिंह राठौड़, अधि0, प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत ...धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ... तहसील पुष्कर ...जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा ... 2271 में दर्ज ...प्रार्थीया की जाति वर्किंग जमाबन्दी व नामान्तकरण ... दिनांक ... के अनुसार ...नाथ की दुरुस्ती करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण ... जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested

10.01.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

प्रार्थी सं0 01 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2139 दिनांक 18.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " **राजस्व ग्राम किशनपुरा गोयला की वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 खाता सं. 01 के खसरा सं. 1985 मिन रकबा 09–00–00 बीघा नामान्तरकरण सं. 672 दिनांक 08.03.2004 बेचान खसरा सं. 1985 रकबा 09 बीघा किस्म बारानी 3 नाली पर बीरम/अमरा के बजाय श्रीमती शालिनी देवी पत्नी रमेश नाथ कौम नाथ निवासी गनाहेड़ा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त मिलान क्षेत्रफल (2065–84) निम्नानुसार है–**

हाल		साबिक	
ख. सं.	रकबा	ख. सं.	रकबा
2037	1.4500	1985	1.45

ग्राम गोयला की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 से स्थाई के खाता सं. 402 में खसरा नं. 2037/2271 रकबा 1.4500 हैक्ट. किस्म बारानी 3 पर शालिनी देवी पत्नी रमेशनाथ हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा. गनाहेड़ा खातेदार (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पुष्कर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता सं. 01 में दर्ज नामान्तरकरण सं. 672 दिनांक 08.03.2004 का अमल दरामद अनुसार वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं. 402 में शालिनी देवी पत्नी रमेशनाथ जाति रावत के बजाय शालिनी देवी पत्नी रमेशनाथ जाति नाथ की इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित होगा।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि वर्तमान खाता सं. 402 में प्रार्थीया शालिनी देवी पत्नी रमेशनाथ की जाति रावत के स्थान पर नाथ दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested

–: [illegible] :–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्राथिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि

10.01.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

राजस्व ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि वर्तमान खाता सं. 402 में प्रार्थीया शालिनी देवी पत्नी रमेशनाथ की जाति रावत के स्थान पर नाथ दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

10.01.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested